

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 1995 (फाल्गुन 10, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

श्री भगवन्त सिंह यादव, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में

प्रश्नकर्ता: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री धरणादास महुत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 51 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-24-94-विक-पांश.(109), दिनांक 6 अक्टूबर, 1994 पटल पर रखेंगे.

(2) श्रीमती उर्मिला सिंह, राज्यमंत्री डेयरी विकास, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित, भोपाल का समापक लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 पटल पर रखेंगी.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, उज्जैन के शंकरपुर-मक्खी रोड पर निवासरत परिवारों के झोपड़े नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मनोहरलाल राठीर, सदस्य, टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों के रहवासियों द्वारा काम के अभाव में पलायन होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

### 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के -  
(क) ग्राम बंडी खुर्द में बिजली लगाये जाने,  
(ख) ग्राम बकही की कृषि भूमि को बंजर होने से बचाये जाने,  
(ग) ग्राम पंचायत बकही के ककड़हाई टोला में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराये जाने,  
(घ) सोम नदी के बकही या बटुरा घाट पर पुल बनाये जाने,

(2) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले के -  
(क) ग्राम बिरदा में हैण्डपंप लगाये जाने,  
(ख) ग्राम तेलसरा में हैण्डपंप लगाये जाने,  
(ग) ग्राम बम्हनी कौना के डिंडोलभाठा मुहल्ले में हैण्डपंप लगाये जाने,  
(घ) ग्राम धतूरा में हैण्डपंप लगाये जाने,  
(ङ.) ग्राम नेवसा की नई बस्ती में हैण्डपंप लगाये जाने,

(3) श्री बल्लुलाल तेकाम, सदस्य, मण्डला जिले के -  
(क) ग्राम कुसमी (भानपुर) से मण्डला तक बस चलाये जाने,  
(ख) ग्राम नाहरबेली के पास की नदी पर बांध बनाये जाने,  
(ग) ग्राम कोलुमगहन में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराये जाने,  
(घ) ग्राम भानपुर खेड़ा में लिफ्ट इरीगेशन सुविधा उपलब्ध कराये जाने,  
(ङ.) ग्राम इमलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(4) श्री ओमप्रकाश खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के -  
(क) कोलारस नगर में रामनगर से कोटा नाका तक के मार्ग को अन्तर्राज्यीय मार्ग घोषित किये जाने,  
(ख) ग्राम खरई से बसई तक सड़क बनाये जाने,  
(ग) ग्राम बिजरीनी से बदरवास तक बस चलाये जाने,

(5) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम धमर्रा में पेयजल हेतु टंकी बनाये जाने, एवं

(6) श्री मनोहरलाल राठीर, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम खेड़ा में पशु चिकित्सालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

**6. लोक लेखा समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन**

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि : -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये लोक लेखा समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

**7. प्राक्कलन समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन**

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि : -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223 के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

**8. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन**

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि : -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223-ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

**9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये बीस सदस्यों का निर्वाचन**

श्री कांतिलाल भूरिया, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि : -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 234-ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 20 सदस्यों के निर्वाचन के लिये (जिसमें क्रमशः पांच-पांच सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों ) अग्रसर हों."

**10. वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर सामान्य बर्चा (क्रमशः)**

शीला खन्ना

भोपाल : सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा

दिनांक : 23 फरवरी, 1995